तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
12-2-26	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। आदेश सुनाया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला–बून्दी(राज0)

125/प्रा0पत्र/2024 पीठासीन अधिकारी
दायरा दिनांक 11.04.2024 श्री सुरेन्द्र सिंह चौधरी(RAS)

बउनवान

1. कृपाशंकर आ0 श्री औकार जाति बैरवा निवासी ग्राम बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0

–प्रार्थी

बनाम

1. छीताबाई पत्नि मांगीलाल जाति बैरवा निवासी बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
2. रूपवन्ती बाई पत्नि धर्मराज जाति बैरवा निवासी ग्राम बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
3. रेशमा पत्नि कमल जाति बैरवा निवासी ग्राम बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

दिनांकः– 12.02.2026

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि कृषि भूमि खसरा संख्या 278 रकबा 2.42 हैक्टर वाके ग्राम पीपल्दाथाग पटवार हल्का माखिदा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित है। प्रार्थी व प्रार्थी के भाई केसरीलाल के वारिसान की सयुक्त खातेदारी में दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसमें प्रार्थी का 1/2 हिस्सा तथा सहखातेदारान का सयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। जिस पर प्रार्थी एंव सहखातेदारान काबिज काश्त चले आ रहे है प्रार्थी की खाते व कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 278 के उतर में ख0सं0 267 व 265 है तथा पश्चिम में ख0सं0 277 है दक्षिण में ख0सं0 317,318 है एवं ख0सं0 278 के पूर्व में 279 की कृषि भूमि है। खसरा संख्या 279 के खातेदारान अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 है अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 जानबूझकर प्रार्थी के खाते व कब्जेकाश्त की कृषि भूमि खसरा सं0 278 को दबाना चाहते है मेड खोदकर उक्त भूमि पर आगे बढना चाहते है तथा अतिक्रमण करके सीमाओं को मिटाना चाहते है इस सन्दर्भ में प्रार्थी ने दिनांक 14.06.2024 को वर्णित कृषि भूमि ख0सं0 278 का सीमाज्ञान भी करवाया था लेकिन इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 ने प्रार्थी की खाते की भूमि की पाल खोद दी तथा सीमाचिन्हो को हटा दिया गया जिस बाबत प्रार्थी द्वारा दिनांक 04.10.2024 को पुलिस थाना लाखेरी में रिपोर्ट दर्ज करायी गई थी। ख0सं0 278 की कृषि भूमि की पत्थरगढी करवाने में प्रार्थी के साथ अन्य सहखातेदारान भी सहमत है।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थी के खाते व कब्जे काश्त की कृषि भूमि ख0सं0 278 की सीमाओं के संबंध में भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न नही हो तथा प्रार्थी की कृषि भूमि व उसका रकबा सुरक्षित रहे इस बाबत प्रार्थी को सीमाज्ञान कराया जाकर पत्थरगढी करवाना चाहता है और अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि ख0सं0 278 की पत्थरगढी करवाई जाने हेतु तहसीलदार इन्द्रगढ़ को निर्देशित फरमाया जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 की तरफ से जर्ये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि वर्णित भूमि प्रार्थी व अन्य सहखातेदारो की सयुक्त कृषि भूमि है बिना विभाजन करवाये प्रार्थी अपने हिस्से की कृषि भूमि किस दिशा में वास्तविक रूप से दर्शायी है प्रार्थी नही बता सकता अप्रार्थीगण ने अपनी कृषि भूमि पर चीरे गाढकर सीमाबन्दी की हुई है न ही कभी भी प्रार्थी की भूमि को दबाने का प्रयास किया गया है ओर न ही मौके पर दबी हुई है फिर भी प्रार्थी को अन्देशा हो तो दुबारा सीमाज्ञान पक्षकारो की मौजूदगी में करवा सकता है जिसमें अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नही है। अतः सयुक्त खातेदारो को पक्षकार नही बनाये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमारे द्वारा पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के अवलोकन से प्रार्थी के सयुक्त खातेदारान द्वारा ख0सं0 278 की कृषि भूमि की पत्थरगढी करवाई जाने हेतु सहमत है कृषि भूमि ख0सं0 278 की सीमाओं के संबंध में भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न नही हो तथा प्रार्थी की कृषि भूमि व उसका रकबा सुरक्षित रहे इस बाबत प्रार्थी को सीमाज्ञान कराया जाकर पत्थरगढी करवाना चाहता है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत होगा।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111,128 के तहत स्वीकार किया जाता है तहसीलदार इन्द्रगढ़ को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी की कृषि भूमि ख0सं0 278 रकबा 2.42 हैक्टर ग्राम पीपल्दाथाग पटवार हल्का माखिदा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी स्थित कृषि भूमि का प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 को तलबकर उनकी उपस्थिति में मौके पर प्रार्थी की आराजी ख0सं0 278 रकबा 2.42 हैक्टर का सीमांकन बन्दोबस्त नक्शेअनुसार सीमाए चिन्हित कर पत्थरगढी करवायी जावें। आराजी के सीमांकन एंव पत्थरगढी करने में होने वाले व्यय को प्रार्थी खातेदार कृषक वहन करेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 12.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned with OKEN Scanner